

466
④

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अन्यर्थी की क्रम संख्या.- 01



राज्य का नाम - छत्तीसगढ़, जिला - गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, निर्वाचन - 24 मरवाही (अ0ज0जा0)

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अन्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मरा जाए
1	अन्यर्थी का नाम तथा पता	डा. गंभीर सिंह
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	भारतीय जनता पार्टी
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	24- मरवाही (अ.ज.जा.)
4	निर्वाचित अन्यर्थी का नाम	श्री कृष्ण कुमार धुव
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	10.11.2020
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	08.12.2020
7	(1) क्या अन्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (2) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	हाँ हाँ
8	क्या अन्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	08.12.2020
10	क्या अन्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अन्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अन्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (1) मूल लेखा (2) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	08.12.2020
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	निरंक
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अन्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	निरंक
14	अन्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	निरंक
14क	अन्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	निरंक
15	सार विवरण के भाग - 2 में अन्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रु. 1123825.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अन्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।	निरंक
	(1) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	हाँ
	(2) क्या अन्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ
	(3) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ
	(4) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है।	हाँ
	(5) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ
18	(1) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अन्यर्थी को नोटिस जारी किया।	निरंक

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

	(2) क्या अभ्यर्थी ने नुटि को सुधारा।	निरंक				
	(3) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि नुटियों को सुधारा गया या नहीं।	निरंक				
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो उल्लेख करें।	हाँ				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धन-राशि
1		-	-	-	-	-
2,3		-	-	-	-	-
कुल		-	-	-	-	-
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखाकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ				
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दे :-	सहमत				
	(1) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई नुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई-गईं।	-				
	(2) यदि हाँ, तो अंग्रेजी अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	-				
	(3) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	-				
	(4) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	-				
	(5) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	-				
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं. 8 के समान होना चाहिए)	हाँ				
	दिनांक - 10.12.2020	 श्री आनंद सिंह				
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो					
	दिनांक - 10-12-2020	 आनंद सिंह				

यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य है जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे रिपोर्ट में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रहित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

आदित्य कुमार सोमकुंदर
 प्रेक्षक कोड U-27432 INAS

व्यय प्रेक्षक
 विधान सभा उप निर्वाचन 2020

<input checked="" type="checkbox"/>	SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
Candidate Scrutiny Report Date Of Submit Scrutiny Form: 11.12.2020	

State: Chhattisgarh District: Gaurela-Pendra-Marwahi Election Type & Year: General AC November-2020

DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER RULE 89 OF C.E. RULES, 1961		
Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
1.	Name & address of the candidate:	DR. GAMBHEER SINGH VILLAGE LATKONI KHURD (TELARPARA, POST SILPAHARI, TEHSIL MARWAHI, DIST. GAURELLA- PENDRA-MARWAHI (C.G.))
2.	Political Party affiliation, if any	Bharatiya Janata Party
3.	No. and name of Assembly Constituency	24 Marwahi
4.	Name of the elected candidate	DR. K. K. DHRUW
5.	Date of declaration of result	10-11-2020
6.	Date of Account Reconciliation Meeting	06-12-2020
7.	(i) Whether the candidate or his agent had been informed about the date of Account Reconciliation Meeting in writing	Yes N/A
	(ii) Whether he or his agent has attended the Meeting	Yes N/A
8.	Whether all the defects reconciled by the candidate after Account Reconciliation Meeting (Yes or No). (If not, defects that could not be reconciled be shown in Column No. 19)	Yes
9.	Last date prescribed for lodging Account	10-12-2020

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
10.	Whether the candidate has lodged the account	Yes
11.	If the candidate has lodged the account, date of lodging of account by the candidate:	
	(i) original account	09-12-2020
	(ii) Revised account after the Account Reconciliation Meeting	09-12-2020
12.	Whether account lodged in time	Yes
13.	If account not lodged or not lodged in time, whether DEO called for explanation from the candidate. If not, reason thereof.	N/A
		N/A
14.	Explanation, if any, given by the candidate	N/A
14A.	Comments of the DEO on the explanation if any, of the candidate	N/A
15.	Grand Total of all election expenses reported by the candidate in Part-II of the Abstract Statement	Rs.1123825/-
16.	Whether in the DEO's opinion, the account of election expenses of the candidate has been lodged in the manner required by the R.P. Act 1951 and C.E. Rules, 1961	Yes
18.	(i) Whether the DEO had issued a notice to the candidate for rectifying the defect	N/A
	(ii) Whether the candidate rectified the defect	N/A
	(iii) Comments of the DEO on the above, i.e. whether the defect was rectified or not	N/A

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No.	Description	To be Filled up by the DEO
19.	Whether the items of election expenses reported by the candidate correspond with the expenses shown in the Shadow Observation Register and Folder of Evidence If No then mention the following:	Yes
20.	Did the candidate produce his Register of the Accounting Election Expenditure for inspection by the Observer/RO/Authorized persons 3 times during campaign period	Yes
21.	If DEO does not agree with the facts mentioned against Row No. 19 referred to above, give the following details:-	○
	(i) Were the defects notice by the DEO brought to the notice of the candidate during campaign period or during the Account Reconciliation Meeting	
	(ii) If yes, then annex copies of all the notices issued relating to discrepancies with English translation (if it is in regional language) and mention date of notice	N/A
	(iii) Did the candidate give any reply to the notice ?	
	(iv) If yes, please Annex copies of such explanation received, (with the English translation of the same, if it is in regional language) and mention date of reply	
(v) DEO's comments/observations on the candidate's explanation		
22.	Whether the DEO agrees that the expenses are correctly reported by the candidate. (Should be similar to Column no. 8 of Summary Reports of DEO Date:	Yes N/A Signature (Name of the DEO)

23

DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
23.	<u>Comments, if any, by the Expenditure Observer*:-</u> N/A Date: _____	Signature of the Expenditure Observer

* If the Expenditure Observer has some more facts that have not been covered in the DEO's report, he may annex separate note to that effect.

** The DEO scrutiny report is to be compiled by the CEO and forwarded to the Commission.

If the CEO feels like given additional comments, he or she may forward the comments separately.

Fund Given By Political Party			
By Cash	N/A		
By Cheque/DD/RTGS/NEFT/OTHER ELECTRONIC MEDIUM	1500000.00	21-10-2020	
In Kind	N/A		
Lump Sum Amount Given by Political Party	Rs.1500000.00/-		

Name	Mode of Payment	Amount
Lump Sum Amount Given By Other Sources		Rs.0.00/-

Lump Sum Grand Total:Rs.1500000.00/-

Dated:N/A

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अन्वर्थी की क्रम संख्या.- 02

राज्य का नाम - छत्तीसगढ़, जिला - गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, निर्वाचन - 24 मरवाही (अ0ज0जा0)



निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अन्वर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

468

क्र.सं.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अन्वर्थी का नाम तथा पता	श्री कृष्ण कुमार धुव
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	24- मरवाही (अ.ज.जा.)
4	निर्वाचित अन्वर्थी का नाम	श्री कृष्ण कुमार धुव
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	10.11.2020
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	06.12.2020
7	(1) क्या अन्वर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (2) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	हाँ हाँ
8	क्या अन्वर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	09.12.2020
10	क्या अन्वर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अन्वर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अन्वर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (1) मूल लेखा (2) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	09.12.2020
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	निरंक
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अन्वर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	निरंक
14	अन्वर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	निरंक
14क	अन्वर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	निरंक
15	सार विवरण के भाग - 2 में अन्वर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रु. 1642300.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अन्वर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।	निरंक
	(1) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	हाँ
	(2) क्या अन्वर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ
	(3) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाचवर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ
	(4) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है।	हाँ
	(5) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

18	(1) जिला निर्वाचन अधिकारी ने न्युटि को सुधारने के लिए क्या अम्यर्थी को नोटिस जारी किया।	निरंक				
	(2) क्या अम्यर्थी ने न्युटि को सुधारा।	निरंक				
	(3) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि न्युटियों को सुधारा गया या नहीं।	निरंक				
19	क्या अम्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो उल्लेख करें।	हाँ				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।	अम्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि	अम्यर्थी द्वारा न्युनोक्त धन-राशि
1		—	—	—	—	—
2,3		—	—	—	—	—
कुल		—	—	—	—	—
20	क्या अम्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ				
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दे :-	सहमत				
	(1) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई न्युटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अम्यर्थी के ध्यान में लाई-गई।	-				
	(2) यदि हाँ, तो अंग्रेजी अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	-				
	(3) क्या अम्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	-				
	(4) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	-				
	(5) अम्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	-				
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अम्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संश्लिष्ट रिपोर्ट के स्तंभ सं. 8 के समान होना चाहिए)	हाँ				
	दिनांक - 10.12.2020	 श्री डामन सिंह				
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो					
	दिनांक - 10-12-2020	 आदित्य कमलाकर सोमकुंवर प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी 7432 IRAS हवल प्रेक्षक				

यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य है जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है तो उसे सूचित करना एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अप्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।



**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

**Candidate Scrutiny Report
Date Of Submit Scrutiny Form: 11.12.2020**

**State: Chhattisgarh District: Gaurela-Pendra-Marwahi Election Type &
Year: General AC November-2020**

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
1.	Name & address of the candidate:	DR. K. K. DHURUW VILLAGE KUMHARI, POST+TAHSIL MARWAHI DIST. GAURELLA-PENDRA- MARWAHI (C.G.)
2.	Political Party affiliation, if any	Indian National Congress
3.	No. and name of Assembly Constituency	24 Marwahi
4.	Name of the elected candidate	DR. K. K. DHURUW
5.	Date of declaration of result	10-11-2020
6.	Date of Account Reconciliation Meeting	06-12-2020
7.	(i) Whether the candidate or his agent had been informed about the date of Account Reconciliation Meeting in writing	Yes
		N/A
	(ii) Whether he or his agent has attended the Meeting	Yes
		N/A
8.	Whether all the defects reconciled by the candidate after Account Reconciliation Meeting (Yes or No). (If not, defects that could not be reconciled be shown in Column No. 19)	Yes
9.	Last date prescribed for lodging Account	10-12-2020

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
10.	Whether the candidate has lodged the account	Yes
11.	If the candidate has lodged the account, date of lodging of account by the candidate:	
	(i) original account	09-12-2020
	(ii) Revised account after the Account Reconciliation Meeting.	09-12-2020
12.	Whether account lodged in time	Yes
13.	If account not lodged or not lodged in time, whether DEO called for explanation from the candidate. If not, reason thereof.	N/A
		N/A
14.	Explanation, if any, given by the candidate	N/A
14A.	Comments of the DEO on the explanation if any, of the candidate	N/A
15.	Grand Total of all election expenses reported by the candidate in Part-II of the Abstract Statement	Rs.1642300/-
16.	Whether in the DEO's opinion, the account of election expenses of the candidate has been lodged in the manner required by the R.P. Act, 1951 and C.E. Rules, 1961	Yes
18.	(i) Whether the DEO had issued a notice to the candidate for rectifying the defect	N/A
	(ii) Whether the candidate rectified the defect	N/A
	(iii) Comments of the DEO on the above, i.e. whether the defect was rectified or not	N/A

489
27

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.F. RULES 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
19.	Whether the items of election expenses reported by the candidate correspond with the expenses shown in the Shadow Observation Register and Folder of Evidence If No then mention the following:	Yes
20.	Did the candidate produce his Register of the Accounting Election Expenditure for inspection by the Observer/RO/Authorized persons 3 times during campaign period	Yes
21.	If DEO does not agree with the facts mentioned against Row No. 19 referred to above, give the following details:-	○
	(i) Were the defects notice by the DEO brought to the notice of the candidate during campaign period or during the Account Reconciliation Meeting	
	(ii) If yes, then annex copies of all the notices issued relating to discrepancies with English translation (if it is in regional language) and mention date of notice	N/A
	(iii) Did the candidate give any reply to the notice ?	
	(iv) If yes, please Annex copies of such explanation received, (with the English translation of the same, if it is in regional language) and mention date of reply	
(v) DEO's comments/observations on the candidate's explanation		
22.	Whether the DEO agrees that the expenses are correctly reported by the candidate. (Should be similar to Column no. 8 of Summary Reports of DEO Date:	Yes N/A Signature (Name of the DEO)

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
23.	<p><u>Comments, if any, by the Expenditure Observer*-</u></p> <p>N/A</p> <p>Date: _____</p>	<p>Signature of the Expenditure Observer.</p>



*If the Expenditure Observer has some more facts that have not been covered in the DEO's report, he may annex separate note to that effect.

** The DEO scrutiny report is to be compiled by the CEO and forwarded to the Commission.

If the CEO feels like given additional comments, he or she may forward the comments separately.

Fund Given By Political Party				
By Cash	N/A			
By Cheque/DD/RTGS/NEFT/OTHER ELECTRONIC MEDIUM	1500000.00	20-10-2020		
In Kind	N/A			
Lump Sum Amount Given by Political Party	Rs.1500000.00/-			

Name	Mode of Payment	Amount
Others	Cash	10000.00
Lump Sum Amount Given By Other Sources	Rs.10000.00/-	

Lump Sum Grand Total:Rs.1510000.00/-

Dated:N/A



जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या.. 03

राज्य का नाम - छत्तीसगढ़, जिला - गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, निर्वाचन - 24 मरवाही (अ0ज0जा0)
 निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	डा. उर्मिला सिंह भार्गो
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	24- मरवाही (अ.ज.जा.)
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री कृष्ण कुमार धुव
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	10.11.2020
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	06.12.2020
7	(1) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (2) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	हाँ हाँ
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	09.12.2020
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (1) मूल लेखा (2) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	09.12.2020
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	निरंक
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	निरंक
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	निरंक
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	निरंक
15	सार विवरण के भाग - 2 में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रु. 498418.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।	निरंक
	(1) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	हाँ
	(2) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ
	(3) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ
	(4) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है।	हाँ
	(5) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

18	(1) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	निरंक																				
	(2) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।	निरंक																				
	(3) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	निरंक																				
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो उल्लेख करें।	हाँ																				
	व्यय की मदें	<table border="1"> <thead> <tr> <th>तारीख</th> <th>क्या प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या</th> <th>छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।</th> <th>अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि</th> <th>अभ्यर्थी द्वारा सूचीकृत धन-राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2,3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	तारीख	क्या प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि	अभ्यर्थी द्वारा सूचीकृत धन-राशि	1	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	कुल	-	-	-	-
तारीख	क्या प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि	अभ्यर्थी द्वारा सूचीकृत धन-राशि																		
1	-	-	-	-																		
2,3	-	-	-	-																		
कुल	-	-	-	-																		
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ																				
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-	सहमत																				
	(1) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई-गई।	-																				
	(2) यदि हाँ, तो अंग्रेजी अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	-																				
	(3) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	-																				
	(4) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	-																				
	(5) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	-																				
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के संश्ल सं. 8 के समान होना चाहिए)	हाँ																				
	दिनांक - 10.12.2020	 श्री आनंद सिंह																				
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो	 आनंद सिंह अतिरिक्त प्रेक्षक रोमकुवर प्रेक्षक कोड 0-27432 IRAS																				
	दिनांक - 10-12-2020																					

यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य है जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे रिपोर्ट में एक जोड़ सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अर्पित की जानी है। यदि निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

x

**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

**Candidate Scrutiny Report
Date Of Submit Scrutiny Form: 11.12.2020**

**State: Chhattisgarh District: Gaurela-Pendra-Marwahi Election Type &
Year: General AC November-2020**

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
1.	Name & address of the candidate:	DR. URMILA SINGH MARKO BANDHWAPARA, SARKANDA, DIST. BILASPUR (C.G.)
2.	Political Party affiliation, if any	Rashtriya Gondvana Party
3.	No. and name of Assembly Constituency	24 Marwahi
4.	Name of the elected candidate	DR. K. K. DHRUW
5.	Date of declaration of result	10-11-2020
6.	Date of Account Reconciliation Meeting	06-12-2020
7.	(i) Whether the candidate or his agent had been informed about the date of Account Reconciliation Meeting in writing	Yes
		N/A
	(ii) Whether he or his agent has attended the Meeting	Yes
		N/A
8.	Whether all the defects reconciled by the candidate after Account Reconciliation Meeting (Yes or No). (If not, defects that could not be reconciled be shown in Column No. 19)	Yes
9.	Last date prescribed for lodging Account	10-12-2020

493
31

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
10.	Whether the candidate has lodged the account	Yes
11.	If the candidate has lodged the account, date of lodging of account by the candidate:	
	(i) original account	09-12-2020
	(ii) Revised account after the Account Reconciliation Meeting	09-12-2020
12.	Whether account lodged in time	Yes
13.	If account not lodged or not lodged in time, whether DEO called for explanation from the candidate. If not, reason thereof.	N/A
		N/A
14.	Explanation, if any, given by the candidate	N/A
14A.	Comments of the DEO on the explanation if any, of the candidate	N/A
15.	Grand Total of all election expenses reported by the candidate in Part-II of the Abstract Statement	Rs.498418/-
16.	Whether in the DEO's opinion, the account of election expenses of the candidate has been lodged in the manner required by the R.P. Act 1951 and C.E. Rules, 1961.	Yes
18.	(i) Whether the DEO had issued a notice to the candidate for rectifying the defect	N/A
	(ii) Whether the candidate rectified the defect	N/A
	(iii) Comments of the DEO on the above, i.e. whether the defect was rectified or not	N/A

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
19.	Whether the items of election expenses reported by the candidate correspond with the expenses shown in the Shadow Observation Register and Folder of Evidence If No then mention the following:	Yes
20.	Did the candidate produce his Register of the Accounting Election Expenditure for inspection by the Observer/RO/Authorized persons 3 times during campaign period	Yes
21.	If DEO does not agree with the facts mentioned against Row No. 19 referred to above, give the following details:-	
	(i) Were the defects notice by the DEO brought to the notice of the candidate during campaign period or during the Account Reconciliation Meeting	
	(ii) If yes, then annex copies of all the notices issued relating to discrepancies with English translation (if it is in regional language) and mention date of notice	N/A
	(iii) Did the candidate give any reply to the notice ?	
	(iv) If yes, please Annex copies of such explanation received, (with the English translation of the same, if it is in regional language) and mention date of reply	
	(v) DEO's comments/observations on the candidate's explanation	
22.	Whether the DEO agrees that the expenses are correctly reported by the candidate. (Should be similar to Column no. 8 of Summary Reports of DEO Date:	Yes N/A Signature (Name of the DEO)

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
23.	<p><u>Comments, if any, by the Expenditure Observer*</u></p> <p>N/A</p> <p>Date: _____</p>	<p>Signature of the Expenditure Observer</p>

* If the Expenditure Observer has some more facts that have not been covered in the DEO's report, he may annex separate note to that effect.

** The DEO scrutiny report is to be compiled by the CEO and forwarded to the Commission.

If the CEO feels like given additional comments, he or she may forward the comments separately.

Fund Given By Political Party	
By Cash	N/A
By Cheque/DD/RTGS/NEFT/OTHER ELECTRONIC MEDIUM	N/A
In Kind	N/A
Lump Sum Amount Given by Political Party	Rs.0.00/-



Name	Mode of Payment	Amount
Lump Sum Amount Given By Other Sources		Rs.0.00/-

Lump Sum Grand Total:Rs.0.00/-

Dated:N/A

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अन्वर्थी की क्रम संख्या. 04
 राज्य का नाम - छत्तीसगढ़, जिला - गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, निर्वाचन - 24 मरवाही (अ0ज0जा0)
 निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अन्वर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला
 निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अन्वर्थी का नाम तथा पता	पुष्पा खेलन कोर्से
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	आम्बेडकराईट पार्टी आफ इंडिया
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	24- मरवाही (अ.ज.जा.)
4	निर्वाचित अन्वर्थी का नाम	श्री कृष्ण कुमार घुव
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	10.11.2020
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	08.12.2020
7	(1) क्या अन्वर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (2) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	हाँ हाँ
8	क्या अन्वर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	09.12.2020
10	क्या अन्वर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अन्वर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अन्वर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (1) मूल लेखा (2) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	09.12.2020
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	निरंक
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अन्वर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	निरंक
14	अन्वर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	निरंक
14क	अन्वर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	निरंक
15	सार विवरण के भाग - 2 में अन्वर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रु. 173580.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अन्वर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।	निरंक
	(1) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकथ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	हाँ
	(2) क्या अन्वर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ
	(3) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित याचकर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ
	(4) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है।	हाँ
	(5) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ
18	(1) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अन्वर्थी को नोटिस जारी किया।	निरंक

	(2) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।	निरंक				
	(3) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	निरंक				
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती हैं। यदि नहीं तो उल्लेख करें।	हाँ				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धन-राशि
1		-	-	-	-	-
2,3		-	-	-	-	-
कुल		-	-	-	-	-
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखाकंन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ				
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दे :-	सहमत				
	(1) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई-गई।	-				
	(2) यदि हाँ, तो अंग्रेजी अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	-				
	(3) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	-				
	(4) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	-				
	(5) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	-				
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के संलग्न सं. 8 के समान होना चाहिए)	हाँ				
	दिनांक - 10.12.2020	 श्री डोमन सिंह				
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो					
	दिनांक - 10-12-2020	 आदित्य कुमार सोमकुंदर व्यय प्रेक्षक प्रेक्षांक सं. 6 47432-IBAS व्यय प्रेक्षक				

यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य है जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है तो- प्रेक्षांक सं. 4 47432-IBAS में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।
विधान सभा उप निर्वाचन 2020

जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अंग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

497
35

<input checked="" type="checkbox"/>	SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
Candidate Scrutiny Report Date Of Submit Scrutiny Form: 11.12.2020	

State: Chhattisgarh District: Gaurela-Pendra-Marwahi Election Type & Year: General AC November-2020

DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER RULE 89 OF C.E. RULES, 1961		
Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
1.	Name & address of the candidate:	PUSHPA KHELAN KORCHE GRAM PANCHAYAT ZILDA, POST OFFICE KODGAR, DIST. GAURELLA-PENDRA- MARWAHI (C.G.)
2.	Political Party affiliation, if any	Ambedkarite Party of India
3.	No. and name of Assembly Constituency	24 Marwahi
4.	Name of the elected candidate	DR. K. K. DHRUW
5.	Date of declaration of result	10-11-2020
6.	Date of Account Reconciliation Meeting	06-12-2020
7.	(i) Whether the candidate or his agent had been informed about the date of Account Reconciliation Meeting in writing	Yes
		N/A
	(ii) Whether he or his agent has attended the Meeting	Yes
		N/A
8.	Whether all the defects reconciled by the candidate after Account Reconciliation Meeting (Yes or No). (If not, defects that could not be reconciled be shown in Column No. 19)	Yes
9.	Last date prescribed for lodging Account	10-12-2020

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
10.	Whether the candidate has lodged the account	Yes
11.	If the candidate has lodged the account, date of lodging of account by the candidate:	
	(i) original account	09-12-2020
	(ii) Revised account after the Account Reconciliation Meeting	09-12-2020
12.	Whether account lodged in time	Yes
13.	If account not lodged or not lodged in time, whether DEO called for explanation from the candidate. If not, reason thereof.	N/A
		N/A
14.	Explanation, if any, given by the candidate	N/A
14A.	Comments of the DEO on the explanation if any, of the candidate	N/A
15.	Grand Total of all election expenses reported by the candidate in Part-II of the Abstract Statement	Rs.173580/-
16.	Whether in the DEO's opinion, the account of election expenses of the candidate has been lodged in the manner required by the R.P. Act 1951 and C.E. Rules, 1961	Yes
18.	(i) Whether the DEO had issued a notice to the candidate for rectifying the defect	N/A
	(ii) Whether the candidate rectified the defect	N/A
	(iii) Comments of the DEO on the above, i.e. whether the defect was rectified or not	N/A

499
37

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
19.	Whether the items of election expenses reported by the candidate correspond with the expenses shown in the Shadow Observation Register and Folder of Evidence If No then mention the following:	Yes
20.	Did the candidate produce his Register of the Accounting Election Expenditure for inspection by the Observer/RO/Authorized persons 3 times during campaign period	Yes
21.	If DEO does not agree with the facts mentioned against Row No. 19 referred to above, give the following details:-	<input type="radio"/>
	(i) Were the defects notice by the DEO brought to the notice of the candidate during campaign period or during the Account Reconciliation Meeting	
	(ii) If yes, then annex copies of all the notices issued relating to discrepancies with English translation (if it is in regional language) and mention date of notice	N/A
	(iii) Did the candidate give any reply to the notice ?	
	(iv) If yes, please Annex copies of such explanation received, (with the English translation of the same, if it is in regional language) and mention date of reply	
(v) DEO's comments/observations on the candidate's explanation		
22.	Whether the DEO agrees that the expenses are correctly reported by the candidate. (Should be similar to Column no. 8 of Summary Reports of DEO Date:	Yes N/A Signature (Name of the DEO)

300
310

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
23.	<u>Comments, if any, by the Expenditure Observer*</u> N/A Date: _____	Signatutre of the Expenditure Observer

dia

* If the Expenditure Observer has some more facts that have not been covered in the DEO's report, he may annex separate note to that effect.

** The DEO scrutiny report is to be compiled by the CEO and forwarded to the Commission.
If the CEO feels like given additional comments, he or she may forward the comments separately.

Fund Given By Political Party	
By Cash	N/A
By Cheque/DD/RTGS/NEFT/OTHER ELECTRONIC MEDIUM	N/A
In Kind	N/A
Lump Sum Amount Given by Political Party	Rs.0.00/-

Name	Mode of Payment	Amount
Others	Cash	120000.00
Lump Sum Amount Given By Other Sources		Rs.120000.00/-

Lump Sum Grand Total:Rs.120000.00/-



Dated:N/A

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अन्वर्थी की क्रम संख्या... 05
राज्य का नाम - छत्तीसगढ़, जिला - भौरेला-पेण्डू-मरवाही, निर्वाचन - 24 मरवाही (अ0ज0जा0)
निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अन्वर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अन्वर्थी का नाम तथा पता	बीर सिंह नागेश
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	भारतीय ट्रायबल पार्टी
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	24- मरवाही (अ.ज.जा.)
4	निर्वाचित अन्वर्थी का नाम	श्री कृष्ण कुमार घुव
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	10.11.2020
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	06.12.2020
7	(1) क्या अन्वर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (2) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	हाँ हाँ
8	क्या अन्वर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	09.12.2020
10	क्या अन्वर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अन्वर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अन्वर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (1) मूल लेखा (2) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	09.12.2020
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	निरंक
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अन्वर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	निरंक
14	अन्वर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	निरंक
14क	अन्वर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	निरंक
15	सार विवरण के भाग - 2 में अन्वर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रु. 83120.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अन्वर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।	निरंक
	(1) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	हाँ
	(2) क्या अन्वर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ
	(3) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ
	(4) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोला गया है।	हाँ
	(5) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ
18	(1) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अन्वर्थी को नोटिस जारी किया।	निरंक

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

<p>(2) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।</p>	<p>निरंक</p>																				
<p>(3) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।</p>	<p>निरंक</p>																				
<p>19 क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ भेल खाती है। यदि नहीं तो उल्लेख करें।</p>	<p>हाँ</p>																				
<p>व्यय की मदें</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>तारीख</th> <th>छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या</th> <th>छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार घन राशि का उल्लेख करें।</th> <th>अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार घन-राशि</th> <th>अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त घन-राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2,3</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार घन राशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार घन-राशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त घन-राशि	1	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	कुल	—	—	—	—
तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार घन राशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार घन-राशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त घन-राशि																	
1	—	—	—	—																	
2,3	—	—	—	—																	
कुल	—	—	—	—																	
<p>20 क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?</p>	<p>हाँ</p>																				
<p>21 यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दे :-</p> <p>(1) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई-गई।</p> <p>(2) यदि हाँ, तो अंग्रेजी अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।</p> <p>(3) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?</p>	<p>सहमत</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>																				
<p>(4) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।</p> <p>(5) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।</p>	<p>—</p> <p>—</p>																				
<p>22 क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं. 8 के समान होना चाहिए)</p> <p>दिनांक - 10.12.2020</p>	<p>हाँ</p> <p></p> <p>श्री आनंद सिंह</p>																				
<p>23 व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो</p> <p>दिनांक - 10-12-2020</p>	<p></p> <p>आविन्य कक्ष प्रेक्षक श्रीमकुवर</p> <p>प्रेक्षक कांड 0-27432 JKAS</p>																				

यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य है जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे तथ्यों के अलग नोट जोड़ सकते हैं।

यदि व्यय प्रेक्षक (अंजली) एक विधान सभा उप निर्वाचन 2020

जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अर्पित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

501
39

✕

**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

**Candidate Scrutiny Report
Date Of Submit Scrutiny Form: 10.12.2020**

**State: Chhattisgarh District: Gaurela-Pendra-Marwahi Election Type &
Year: General AC November-2020**

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
1.	Name & address of the candidate:	BIR SINGH NAGESH RAJIV NAGAR, KOTRA ROAD, DIST. RAIGARH (C.G.)
2.	Political Party affiliation, if any	Bhartiya Tribal Party
3.	No. and name of Assembly Constituency	24 Marwahi
4.	Name of the elected candidate	DR. K. K. DHRUW
5.	Date of declaration of result	10-11-2020
6.	Date of Account Reconciliation Meeting	06-12-2020
7.	(i) Whether the candidate or his agent had been informed about the date of Account Reconciliation Meeting in writing	Yes N/A
	(ii) Whether he or his agent has attended the Meeting	Yes N/A
8.	Whether all the defects reconciled by the candidate after Account Reconciliation Meeting (Yes or No). (If not, defects that could not be reconciled be shown in Column No. 19)	Yes
9.	Last date prescribed for lodging Account	10-12-2020
10.	Whether the candidate has lodged the account	Yes

502
W

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
11.	If the candidate has lodged the account, date of lodging of account by the candidate:	
	(i) original account	09-12-2020
	(ii) Revised account after the Account Reconciliation Meeting	09-12-2020
12.	Whether account lodged in time	Yes
13.	If account not lodged or not lodged in time, whether DEO called for explanation from the candidate. If not, reason thereof.	N/A
		N/A
14.	Explanation, if any, given by the candidate	N/A
14A.	Comments of the DEO on the explanation if any, of the candidate	N/A
15.	Grand Total of all election expenses reported by the candidate in Part-II of the Abstract Statement	Rs.83120/-
16.	Whether in the DEO's opinion, the account of election expenses of the candidate has been lodged in the manner required by the R.P. Act 1951 and C.E. Rules, 1961	Yes
18.	(i) Whether the DEO had issued a notice to the candidate for rectifying the defect	N/A
	(ii) Whether the candidate rectified the defect	N/A
	(iii) Comments of the DEO on the above, i.e. whether the defect was rectified or not	N/A
19.	Whether the items of election expenses reported by the candidate correspond with the expenses shown in the Shadow Observation Register and Folder of Evidence If No then mention the following:	Yes

503
W

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
20.	Did the candidate produce his Register of the Accounting Election Expenditure for inspection by the Observer/RO/Authorized persons 3-times during campaign period	Yes
21.	If DEO does not agree with the facts mentioned against Row No. 19 referred to above, give the following details:-	OFFICE
	(i) Were the defects notice by the DEO brought to the notice of the candidate during campaign period or during the Account - Reconciliation Meeting	OFFICE
	(ii) If yes, then annex copies of all the notices issued relating to discrepancies with English translation (if it is in regional language) and mention date of notice	N/A
	(iii) Did the candidate give any reply to the notice ?	
	(iv) If yes, please Annex copies of such explanation received, (with the English translation of the same, if it is in regional language) and mention date of reply	
	(v) DEO's comments/observations on the candidate's explanation	
22.	<p>Whether the DEO agrees that the expenses are correctly reported by the candidate. (Should be similar to Column no. 8 of Summary Reports of DEO)</p> <p>Date: _____</p>	<p>Yes</p> <p>N/A</p> <p>Signature (Name of the DEO)</p>
23.	<p><u>Comments, if any, by the Expenditure Observer</u></p> <p>Date: _____ Signatutre of the Expenditure Observer</p>	

* If the Expenditure Observer has some more facts that have not been covered in the DEO's report, he may annex separate note to that effect.

** The DEO scrutiny report is to be compiled by the CEO and forwarded to the Commission.

If the CEO feels like given additional comments, he or she may forward the comments separately.

Fund Given By Political Party	
By Cash	N/A
By Cheque/DD/RTGS/NEFT/OTHER ELECTRONIC MEDIUM	N/A
In Kind	N/A
Lump Sum Amount Given by Political Party	Rs.0.00/-

Name	Mode of Payment	Amount
Lump Sum Amount Given By Other Sources		Rs.0.00/-

Lump Sum Grand Total:Rs.0.00/-



Dated:N/A

Election Commission

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या. 06
राज्य का नाम - छत्तीसगढ़, जिला - गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, निर्वाचन - 24 मरवाही (अ0ज0जा0)
निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला
निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	रितु पन्द्राम
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	24- मरवाही (अ.ज.जा.)
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री कृष्ण कुमार घुव
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	10.11.2020
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	06.12.2020
7	(1) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (2) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	हाँ हाँ
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	09.12.2020
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (1) मूल लेखा (2) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	09.12.2020
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	निरंक
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	निरंक
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	निरंक
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियों	निरंक
15	सार विवरण के भाग - 2 में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रु. 392800.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।	निरंक
	(1) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	हाँ
	(2) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ
	(3) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाचवर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ
	(4) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है।	हाँ
	(5) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ

18	(1) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	निरंक				
	(2) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।	निरंक				
	(3) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	निरंक				
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदद, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो उल्लेख करें।	हाँ				
	व्यय की मदद	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि	अभ्यर्थी द्वारा सूचित धन-राशि
1		-	-	-	-	-
2,3		-	-	-	-	-
कुल		-	-	-	-	-
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ				
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-	सहमत				
	(1) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई-गई।	-				
	(2) यदि हाँ, तो अंग्रेजी अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	-				
	(3) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	-				
	(4) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	-				
	(5) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	-				
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए व्ययों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं. 8 के समान होना चाहिए)	हाँ				
	दिनांक - 10.12.2020	 श्री जामन सिंह				
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो					
	दिनांक - 10-12-2020	 आनंद कुमार सोमकुवर अध्यक्ष प्रेक्षक 0-27432 IRAS व्यय प्रेक्षक				

यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है तो अलग नोट जोड़ सकते हैं।

विधान सभा उप निर्वाचन 2020

309
123

<input checked="" type="checkbox"/>	SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
Candidate Scrutiny Report Date Of Submit Scrutiny Form: 11.12.2020	

State: Chhattisgarh District: Gaurela-Pendra-Marwahi Election Type & Year: General AC November-2020

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
1.	Name & address of the candidate:	RITU PANDRAM VILLAGE JOGIDONGRI, SARBAHRA, POST PENDRAROAD, DIST. . GAURELLA-PENDRA- MARWAHI (C.G.)
2.	Political Party affiliation, if any	Gondvana Gantantra Party
3.	No. and name of Assembly Constituency	24 Marwahi
4.	Name of the elected candidate	DR. K. K. DHRUW
5.	Date of declaration of result	10-11-2020
6.	Date of Account Reconciliation Meeting	06-12-2020
7.	(i) Whether the candidate or his agent had been informed about the date of Account Reconciliation Meeting in writing	Yes N/A
	(ii) Whether he or his agent has attended the Meeting	Yes N/A
8.	Whether all the defects reconciled by the candidate after Account Reconciliation Meeting (Yes or No). (If not, defects that could not be reconciled be shown in Column No. 19)	Yes
9.	Last date prescribed for lodging Account	10-12-2020

506
mm

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
10.	Whether the candidate has lodged the account	Yes
11.	If the candidate has lodged the account, date of lodging of account by the candidate:	
	(i) original account	09-12-2020
	(ii) Revised account after the Account Reconciliation Meeting	09-12-2020
12.	Whether account lodged in time	Yes
13.	If account not lodged or not lodged in time, whether DEO called for explanation from the candidate. If not, reason thereof.	N/A
		N/A
14.	Explanation, if any, given by the candidate	N/A
14A.	Comments of the DEO on the explanation if any, of the candidate	N/A
15.	Grand Total of all election expenses reported by the candidate in Part-II of the Abstract Statement	Rs.392800/-
16.	Whether in the DEO's opinion, the account of election expenses of the candidate has been lodged in the manner required by the R.P. Act 1951 and C.E. Rules, 1961	Yes
18.	(i) Whether the DEO had issued a notice to the candidate for rectifying the defect	N/A
	(ii) Whether the candidate rectified the defect	N/A
	(iii) Comments of the DEO on the above, i.e. whether the defect was rectified or not	N/A

507
45

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No.	Description	To be Filled up by the DEO
19.	Whether the items of election expenses reported by the candidate correspond with the expenses shown in the Shadow Observation Register and Folder of Evidence If No then mention the following:	Yes
20.	Did the candidate produce his Register of the Accounting Election Expenditure for inspection by the Observer/RO/Authorized persons 3 times during campaign period	Yes
21.	If DEO does not agree with the facts mentioned against Row No. 19 referred to above, give the following details:-	○
	(i) Were the defects notice by the DEO brought to the notice of the candidate during campaign period or during the Account Reconciliation Meeting	
	(ii) If yes, then annex copies of all the notices issued relating to discrepancies with English translation (if it is in regional language) and mention date of notice	N/A
	(iii) Did the candidate give any reply to the notice ?	
	(iv) If yes, please Annex copies of such explanation received, (with the English translation of the same, if it is in regional language) and mention date of reply	
22.	Whether the DEO agrees that the expenses are correctly reported by the candidate. (Should be similar to Column no. 8 of Summary Reports of DEO	Yes N/A
	Date:	Signature (Name of the DEO)

308
46

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
23.	<p><u>Comments, if any, by the Expenditure Observer*</u></p> <p>N/A</p> <p>Date: _____</p>	<p>Signature of the Expenditure Observer</p>

* If the Expenditure Observer has some more facts that have not been covered in the DEO's report, he may annex separate note to that effect.

** The DEO scrutiny report is to be compiled by the CEO and forwarded to the Commission. If the CEO feels like given additional comments, he or she may forward the comments separately.

Fund Given By Political Party	
By Cash	N/A
By Cheque/DD/RTGS/NEFT/OTHER ELECTRONIC MEDIUM	N/A
In Kind	N/A
Lump Sum Amount Given by Political Party	Rs.0.00/-

Name	Mode of Payment	Amount
Others	Cash	302800.00
Lump Sum Amount Given By Other Sources	Rs.302800.00/-	

Lump Sum Grand Total:Rs.302800.00/-

Dated:N/A

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या. 07

राज्य का नाम - छत्तीसगढ़, जिला - गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, निर्वाचन - 24 मरवाही (अ0ज0जा10)
निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	लक्ष्मण पोर्ते
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	24- मरवाही (अ.ज.जा.)
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्री कृष्ण कुमार घुव
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	10.11.2020
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	06.12.2020
7	(1) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (2) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	हाँ हाँ
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	09.12.2020
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (1) मूल लेखा (2) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	09.12.2020
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	निरंक
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	निरंक
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	निरंक
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	निरंक
15	सार विवरण के भाग - 2 में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रु. 93605.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।	निरंक
	(1) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	हाँ
	(2) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ
	(3) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाचचर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ
	(4) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है।	हाँ
	(5) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ
18	(1) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	निरंक

(2) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा।	निरंक																				
(3) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	निरंक																				
19 क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो उल्लेख करें।	हाँ																				
व्यय की मदें	<table border="1"> <thead> <tr> <th>तारीख</th> <th>छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या</th> <th>छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।</th> <th>अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि</th> <th>अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धन-राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2,3</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धन-राशि	1	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	कुल	—	—	—	—
तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धन-राशि																	
1	—	—	—	—																	
2,3	—	—	—	—																	
कुल	—	—	—	—																	
1	—																				
2,3	—																				
कुल	—																				
20 क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?	हाँ																				
21 यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-	सहमत																				
(1) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई-गईं।	-																				
(2) यदि हाँ, तो अंग्रेजी अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।	-																				
(3) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	-																				
(4) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	-																				
(5) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	-																				
22 क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के रतम सं. 8 के समान होना चाहिए)	हाँ																				
23 व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो	<p>श्री जोगन सिंह</p>																				
दिनांक - 10-12-2020	<p>आदित्य कुमार सोमकुंदर प्रेसक कोड 0-27432 IRAS</p>																				

नम यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य है जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजना चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रहित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।



**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

**Candidate Scrutiny Report
Date Of Submit Scrutiny Form: 11.12.2020**

**State: Chhattisgarh District: Gaurela-Pendra-Marwahi Election Type &
Year: General AC November 2020**

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
1.	Name & address of the candidate:	LAKSHMAN PORTE (AMIT) THAKUR MOHLLA, KHAIRDONGRI, PANDARIYA, DIST. KABIRDHAM (C.G.)
2.	Political Party affiliation, if any	Bhartiya Sarvjan Hitay Samaj Party
3.	No. and name of Assembly Constituency	24 Marwahi
4.	Name of the elected candidate	DR. K. K. DHRUW
5.	Date of declaration of result	10-11-2020
6.	Date of Account Reconciliation Meeting	06-12-2020
7.	(i) Whether the candidate or his agent had been informed about the date of Account Reconciliation Meeting in writing	Yes
		N/A
7.	(ii) Whether he or his agent has attended the Meeting	Yes
		N/A
8.	Whether all the defects reconciled by the candidate after Account Reconciliation Meeting (Yes or No). (If not, defects that could not be reconciled be shown in Column No. 19)	Yes
9.	Last date prescribed for lodging Account	10-12-2020

510

WB

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 39 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
10.	Whether the candidate has lodged the account	Yes
11.	If the candidate has lodged the account, date of lodging of account by the candidate:	
	(i) original account	09-12-2020
	(ii) Revised account after the Account Reconciliation Meeting	09-12-2020
12.	Whether account lodged in time	Yes
13.	If account not lodged or not lodged in time, whether DEO called for explanation from the candidate. If not, reason thereof.	N/A
		N/A
14.	Explanation, if any, given by the candidate	N/A
14A.	Comments of the DEO on the explanation if any, of the candidate	N/A
15.	Grand Total of all election expenses reported by the candidate in Part-II of the Abstract Statement	Rs.93605/-
16.	Whether in the DEO's opinion, the account of election expenses of the candidate has been lodged in the manner required by the R.P. Act 1951 and C.E. Rules, 1961	Yes
18.	(i) Whether the DEO had issued a notice to the candidate for rectifying the defect	N/A
	(ii) Whether the candidate rectified the defect	N/A
	(iii) Comments of the DEO on the above, i.e. whether the defect was rectified or not	N/A

S11
119

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
19.	Whether the items of election expenses reported by the candidate correspond with the expenses shown in the Shadow Observation Register and Folder of Evidence If No then mention the following:	Yes
20.	Did the candidate produce his Register of the Accounting Election Expenditure for inspection by the Observer/RO/Authorized persons 3 times during campaign period	Yes
21.	If DEO does not agree with the facts mentioned against Row No. 19 referred to above, give the following details:-	○
	(i) Were the defects notice by the DEO brought to the notice of the candidate during campaign period or during the Account Reconciliation Meeting	
	(ii) If yes, then annex copies of all the notices issued relating to discrepancies with English translation (if it is in regional language) and mention date of notice	N/A
	(iii) Did the candidate give any reply to the notice ?	
	(iv) If yes, please Annex copies of such explanation received, (with the English translation of the same, if it is in regional language) and mention date of reply	
(v) DEO's comments/observations on the candidate's explanation		
22.	Whether the DEO agrees that the expenses are correctly reported by the candidate. (Should be similar to Column no. 8 of Summary Reports of DEO Date:	Yes N/A Signature (Name of the DEO)

SK
30

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
23.	<p><u>Comments, if any, by the Expenditure Observer*</u></p> <p>N/A</p> <p>Date: _____</p>	<p>Signature of the Expenditure Observer</p>

* If the Expenditure Observer has some more facts that have not been covered in the DEO's report, he may annex separate note to that effect.

** The DEO scrutiny report is to be compiled by the CEO and forwarded to the Commission. If the CEO feels like given additional comments, he or she may forward the comments separately.

Fund Given By Political Party	
By Cash	N/A
By Cheque/DD/RTGS/NEFT/OTHER ELECTRONIC MEDIUM	N/A
In Kind	N/A
Lump Sum Amount Given by Political Party	Rs.0.00/-

Name	Mode of Payment	Amount
Lump Sum Amount Given By Other Sources		Rs.0.00/-



Lump Sum Grand Total:Rs.0.00/-

Dated:N/A

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अम्बथी की क्रम संख्या. 08
राज्य का नाम - छत्तीसगढ़, जिला - गोरला-पेण्ड्रा-मरवाही, निर्वाचन - 24 मरवाही (अ0ज0जा0)
निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अम्बथी के निर्वाचन व्यय पर जिला
निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा करा जाए
1	अम्बथी का नाम तथा पता	श्रीमती सोनमती सलाम
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	24- मरवाही (अ.ज.जा.)
4	निर्वाचित अम्बथी का नाम	श्री कृष्ण कुमार धुव
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	10.11.2020
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	06.12.2020
7	(1) क्या अम्बथी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (2) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	हाँ हाँ
8	क्या अम्बथी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	09.12.2020
10	क्या अम्बथी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11	यदि अम्बथी ने लेखा दाखिल किया है तो अम्बथी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख: (1) मूल लेखा (2) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	09.12.2020
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया।	हाँ
12 क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	निरंक
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अम्बथी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बताएं	निरंक
14	अम्बथी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	निरंक
14क	अम्बथी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	निरंक
15	सार विवरण के भाग - 2 में अम्बथी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रु. 80000.00
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अम्बथी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है।	हाँ
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें।	निरंक
	(1) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है।	हाँ
	(2) क्या अम्बथी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है।	हाँ
	(3) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाचनर प्रस्तुत किए गए हैं।	हाँ
	(4) क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है।	हाँ
	(5) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं।	हाँ
18	(1) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अम्बथी को नोटिस जारी किया।	निरंक

अमाद

(2) क्या अन्वर्थी ने नुटि को सुधारा।		निरंक				
(3) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि नुटियों को सुधारा गया या नहीं।		निरंक				
19 क्या अन्वर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो उल्लेख करें।		हाँ				
व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें।	अन्वर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धन-राशि	अन्वर्थी द्वारा न्यूनोक्त धन-राशि	
1						
2,3						
कुल						
20	क्या अन्वर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया?		हाँ			
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-		सहमत			
	(1) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई नुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अन्वर्थी के ध्यान में लाई-गई।		-			
	(2) यदि हाँ, तो अंग्रेजी अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें।		-			
	(3) क्या अन्वर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?		-			
	(4) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।		-			
	(5) अन्वर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।		-			
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अन्वर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं. 8 के समान होना चाहिए)		हाँ			
	दिनांक - 10.12.2020		 श्री आनंद सिंह			
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो					
	दिनांक 10-12-2020		 आनंद सिंह			

आचित्य कुमार प्रेक्षक सोमकुंवर

प्रेक्षक काई U-27432

ग यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है तो वे रिपोर्ट में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अंग्रेजित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

313
(5)

**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA**
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Candidate Scrutiny Report

Date Of Submit Scrutiny Form: 11.12.2020

**State: Chhattisgarh District: Gaurela-Pendra-Marwahi Election Type &
Year: General AC November-2020**

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
1.	Name & address of the candidate:	SMT. SONMATI SALAM VILLAGE PATHARA, KHERWATOLA, TAHSIL MARWAHI, DIST. GAURELLA- PENDRA-MARWAHI (C.G.)
2.	Political Party affiliation, if any	Independent
3.	No. and name of Assembly Constituency	24 Marwahi
4.	Name of the elected candidate	DR. K. K. DHRUW
5.	Date of declaration of result	10-11-2020
6.	Date of Account Reconciliation Meeting	06-12-2020
7.	(i) Whether the candidate or his agent had been informed about the date of Account Reconciliation Meeting in writing	Yes
		N/A
	(ii) Whether he or his agent has attended the Meeting	Yes
		N/A
8.	Whether all the defects reconciled by the candidate after Account Reconciliation Meeting (Yes or No). (If not, defects that could not be reconciled be shown in Column No. 19)	Yes
9.	Last date prescribed for lodging Account	10-12-2020

514
52

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
10.	Whether the candidate has lodged the account	Yes
11.	If the candidate has lodged the account, date of lodging of account by the candidate:	
	(i) original account	09-12-2020
	(ii) Revised account after the Account Reconciliation Meeting	09-12-2020
12.	Whether account lodged in time	Yes
13.	If account not lodged or not lodged in time, whether DEO called for explanation from the candidate. If not, reason thereof.	N/A
		N/A
14.	Explanation, if any, given by the candidate	N/A
14A.	Comments of the DEO on the explanation if any, of the candidate	N/A
15.	Grand Total of all election expenses reported by the candidate in Part-II of the Abstract Statement	Rs.80000/-
16.	Whether in the DEO's opinion, the account of election expenses of the candidate has been lodged in the manner required by the R.P. Act 1951 and C.E. Rules, 1961	Yes
18.	(i) Whether the DEO had issued a notice to the candidate for rectifying the defect	N/A
	(ii) Whether the candidate rectified the defect	N/A
	(iii) Comments of the DEO on the above, i.e. whether the defect was rectified or not	N/A

513
53

**DEO'S SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 39 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
19.	Whether the items of election expenses reported by the candidate correspond with the expenses shown in the Shadow Observation Register and Folder of Evidence If No then mention the following:	Yes
20.	Did the candidate produce his Register of the Accounting Election Expenditure for inspection by the Observer/RO/Authorized persons 3 times during campaign period	Yes
21.	If DEO does not agree with the facts mentioned against Row No. 19 referred to above, give the following details:-	○
	(i) Were the defects notice by the DEO brought to the notice of the candidate during campaign period or during the Account Reconciliation Meeting	
	(ii) If yes, then annex copies of all the notices issued relating to discrepancies with English translation (if it is in regional language) and mention date of notice	N/A
	(iii) Did the candidate give any reply to the notice?	
	(iv) If yes, please Annex copies of such explanation received, (with the English translation of the same, if it is in regional language) and mention date of reply	
(v) DEO's comments/observations on the candidate's explanation		
22.	Whether the DEO agrees that the expenses are correctly reported by the candidate. (Should be similar to Column no. 8 of Summary Reports of DEO Date:	Yes N/A Signature (Name of the DEO)

366

5A

**DEO's SCRUTINY REPORT ON ELECTION EXPENSES OF THE CANDIDATE UNDER
RULE 89 OF C.E. RULES, 1961**

Sr. No	Description	To be Filled up by the DEO
23.	<p><u>Comments, if any, by the Expenditure Observer*-</u></p> <p>N/A</p> <p>Date: _____</p>	<p>Signature of the Expenditure Observer</p>

2019

* If the Expenditure Observer has some more facts that have not been covered in the DEO's report, he may annex separate note to that effect.

** The DEO scrutiny report is to be compiled by the CEO and forwarded to the Commission.

If the CEO feels like given additional comments, he or she may forward the comments separately.

Fund Given By Political Party	
By Cash	N/A
By Cheque/DD/RTGS/NEFT/OTHER ELECTRONIC MEDIUM	N/A
In Kind	N/A
Lump Sum Amount Given by Political Party	Rs.0.00/-

Name	Mode of Payment	Amount
Lump Sum Amount Given By Other Sources		Rs.0.00/-

Lump Sum Grand Total:Rs.0.00/-

Dated:N/A